



નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ અમદાવાદ



પરિપત્ર નં. ૧૦૮ તા. ૨૧-૦૧-૨૦૨૦

ફક્ત મ્યુનિ. શાળાઓ માટે જ :-

વિષય :- ૨૬ મી જાન્યુઆરી-૨૦૨૦ પ્રજાસત્તાક દિન નિમિત્તે એસએમસી. કક્ષાએ ‘દીકરીની સલામ દેશને નામ’ કાર્યક્રમની સૂચના તેમજ માહિતી બાબત.

સંદર્ભ :- તા. ૧૭-૧-૨૦૨૦ના એસપીઓ કચેરીના પત્ર ક્રમાંક નં. એસએસએ/ કોમ્યુ. મોબી/ ૨૦૨૦/ ૩૬૬૬-૩૭૨૨ અન્વયે.

આથી તમામ મ્યુનિ. શાળાના મુખ્ય શિક્ષકશ્રીઓને ઉપરોક્ત વિષય તથા સંદર્ભે જણાવવાનું કે, સર્વ શિક્ષા અભિયાન અંતર્ગત વર્ષ-૨૦૧૯-૨૦માં બે વાલી સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવેલ. જે પૈકી ‘બેટી બચાવો અને બેટી પઢાવો’ કાર્યક્રમ અન્વયે તમામ એસએમસી કક્ષાએ ૨૬ મી જાન્યુઆરી-૨૦૨૦ પ્રજાસત્તાકદિન નિમિત્તે વાલી સંમેલનમાં ‘દીકરીની સલામ દેશને નામ’ કાર્યક્રમની ઉજવણીનું આયોજન કરેલ છે. આ કાર્યક્રમ ખુબ અસરકારક થાય તે હેતુ થી ઝોન / કલસ્ટર/ વોર્ડ કક્ષાએ મહત્તમ પ્રચાર, પ્રસાર કરવા નીચે મુજબની સૂચનાઓ આપવામાં આવે છે.

- ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ થી ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ સુધીમાં નવી જન્મેલી દીકરીઓને તેમની માતા સાથે શાળા કક્ષાએ આવવા આમંત્રણ આપવું.
- આ કાર્યક્રમની પારદર્શકતા માટે એસએમસીમાં ધો. ૧૦, ધો. ૧૨, સ્નાતક, અનુસ્નાતક, એમ. ફીલ અને પી. એચ. ડી. સુધીનું શિક્ષણ લીધેલ દીકરીમાંથી વધુ ભણેલ દીકરીને ધ્વજ ફરકાવવા માટે પસંદ કરવી. જો તેવી દીકરીઓ ન મળે તો જે દીકરીએ સૌથી વધુ શિક્ષણ મેળવેલ હોય તેને મુખ્ય અતિથિ બનાવી તેની પાસે ધ્વજવંદન કરાવવું. જો શાળામાં CWSN (દિવ્યાંગ) દીકરી હોય તો તેને પ્રથમ પસંદગી આપવી.
- આ કાર્યક્રમના વધુ પ્રચાર, પ્રસાર માટે કાર્યક્રમ અગાઉ શાળાના-વોર્ડના નોટીસ બોર્ડ કે મંદિરના લાઉડસ્પીકર કે અન્ય માધ્યમોનો ઉપયોગ કરવો.
- સીઆરસી કો.ઓ. અને યુઆરસી કો.ઓ.એ પોતાના કલસ્ટર અને ઝોનની તૈયારી આગોતરી રીતે ચકાસી સમગ્ર આયોજનને સુનિશ્ચિત કરવું.
- આ કાર્યક્રમના બહોળા પ્રચાર-પ્રસાર માટે પ્રિન્ટ મીડીયા અને ઈલેક્ટ્રોનિક મીડીયાનો ઉપયોગ કરવો.

આ કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયા બાદ નીચે મુજબ પત્રક -એ અને પત્રક-બીની જરૂરી માહિતી અહેવાલ સાથે સીઆરસી. કો.ઓ. ને દિન-૨માં મોકલી આપવાની રહેશે. સીઆરસી. કો.ઓ. સમગ્ર કલસ્ટરનું એકંદરીકરણ કરી યુઆરસી. કો.ઓ. ને મોકલી આપવાના રહેશે અને યુઆરસી. કો.ઓ.એ સમગ્ર ઝોનનું એકંદરીકરણ કરી એ.ડી.સી. કોમ્યુનિટી મોબીલાઈઝેશનને મોકલી આપવાનું રહેશે.

પત્રક-૧

ક્રમ	જિલ્લાનું નામ	તાલુકાનું નામ	કુલ શાળાની સંખ્યા	૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ થી ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ સુધીમાં નવી જન્મેલી દીકરીઓની સંખ્યા	૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ થી ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ સુધીમાં નવી જન્મેલી દીકરીઓમાંથી હાજર દીકરીઓ તથા માતા - પિતાની સંખ્યા				
					દીકરી	માતા	પિતા	અન્ય	કુલ

પત્રક-૨

Sr. No.	District Name	Cluster Name	Village Name	School Name	Name of flag hoisting girl	when she left the school date	CWSN (Yes/No)	Education Qualification	Category	Age	Designation on Current work	contact No.	Remarks

તા. ૨૧-૧-૨૦૨૦

ડૉ. એલ.ડી. દેસાઈ

શાસનાધિકારી



નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ અમદાવાદ



પરિપત્ર નં. ૧૦૯-A તા. ૨૧-૦૧-૨૦૨૦

ફક્ત મ્યુનિ. શાળાઓ માટે જ :-

વિષય :- સી.સી.ઈ.આર.ટી. દ્વારા યોજનાર Cultural Talent Search Scholarship Scheme (CTSSS) ૨૦૨૦-૨૧ માટે અરજીઓ મોકલવા બાબત.

સંદર્ભ :- ક્રમાંક : જશભ/તલમ/૨૦૨૦/૨૧૦ તા. ૧૭-૦૧-૨૦૨૦નો પત્ર

આથી તમામ મ્યુનિ. શાળાના મુખ્ય શિક્ષકશ્રીઓને ઉપરોક્ત વિષય તથા સંદર્ભે જણાવવાનું કે, સી.સી.ઈ.આર.ટી. દ્વારા યોજનાર Cultural Talent Search Scholarship Scheme (CTSSS) ૨૦૨૦-૨૧ માટે અરજીઓ ૧૦ થી ૧૮ વર્ષના બાળકો માટે જુદા જુદા ક્ષેત્રો જેવા કે સંગીત, ડાન્સ, પેઈન્ટીંગ, સર્જનાત્મક લખાણ અને સાહિત્ય કલા વગેરે જેવા પ્રતિભાસંપન્ન બાળકોની અરજીઓ આ સાથે સામેલ બિડાણ પત્રક મુજબના નમુના મુજબ તા. ૨૫-૦૧-૨૦૨૦ સુધીમાં જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન, અમદાવાદ શહેરને મળે તે રીતે મોકલી આપવાની રહેશે. જે બાળકોની અરજી મોકલી આપેલ છે તેમના નામ અને ક્ષેત્રની વિગતો બીટના સુપરવાઈઝરશ્રીને મોકલી આપવાની રહેશે.

બિડાણ : સંદર્ભિત પત્ર

તા. ૨૧-૧-૨૦૨૦

ડૉ. એલ.ડી.દેસાઈ
શાસનાધિકારી



પ્રાચાર્ય

ક્રમાંક: જશભ/તલમ/૨૦૨૦/૨૧૦

જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન, અમદાવાદ શહેર

ગોતા- ઓગણજ રોડ, ગોતા ચોકડી પાસે, ગોતા,

અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬

ફોન / ફેક્સ: (૦૭૯) ૨૯૬૯૬૭૫૫

ઇ-મેઇલ: diet-urban-ahd@gujarat.gov.in, Web : www.dietahmdcity.org

તારીખ: ૧૭/૦૧/૨૦૨૦

પ્રતિ,
શાસનાધિકારીશ્રી,
નગર શિક્ષણ સમિતિ,
અમદાવાદ.

વિષય:- સી.સી.ઈ.આર.ટી. દ્વારા યોજનાર Cultural Talent Search Scholarship Scheme (CTSSS) ૨૦૨૦-૨૧ માટે અરજીઓ મોકલવવા બાબત.

સંદર્ભ:- જીસીઈઆરટી ગાંધીનગરનો પત્ર નં. STTI/CCRT/2020/56-82, તા. ૧૭/૦૧/૨૦૨૦.

શ્રીમાન,

સવિનય ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભિત પત્રના અનુસંધાનમાં જણાવવાનું કે, સી.સી.ઈ.આર.ટી. દ્વારા યોજનાર Cultural Talent Search Scholarship Scheme (CTSSS) ૨૦૨૦-૨૧ માટે અરજીઓ ૧૦ થી ૧૮ વર્ષના બાળકો માટે જુદા જુદા ક્ષેત્રો જેવા કે સંગીત, ડાન્સ, પેન્ટીંગ, સર્જનાત્મક લખાણ અને સાહિત્યકલા વગેરે જેવા ક્ષેત્રે પ્રતિભાસંપન્ન બાળકોની અરજી આ સાથેના સામેલ પત્ર મુજબ નામ અને અરજી તા. ૨૫/૦૧/૨૦૨૦ સુધીમાં ડાયટ અમદાવાદ-શહેરને ઇ-મેલ દ્વારા મોકલવવા વિનંતી.

બિડાણ: સંદર્ભિત પત્રની નકલ

પ્રાચાર્ય

જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન

અમદાવાદ-શહેર



સ્ટેટ ટીચર્સ ટ્રેનીંગ ઇન્સ્ટીટ્યુટ (જી.સી.ઇ.આર.ટી., ગાંધીનગર)



“વિદ્યાભવન”, ઉમિયા માતાજી મંદિર પાસે, ઉદ્યોગ ભવન સામે, સેક્ટર-૧૨,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૬ (ગુજરાત)

ફોન નં. - ૦૭૯-૨૩૨૪૬૫૧૧, E-mail:- stti.gujarat@gmail.com

Ref: STTI/CCRT/2020/56-62

તારીખ :- 17/01/2020

પ્રતિ,
પ્રાચાર્યશ્રી,
જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવનની કચેરી,
તમામ.

વિષય : સીસીઆરટી ધ્વારા યોજનાર Cultural Talent Search Scholarship Scheme (CTSSS) 2020-21 માટે અરજીઓ મંગાવવા બાબત.

સંદર્ભ:- 1) CCRT, New Delhi નો તા: 02/01/2020 નો પત્રાંક : CCRT/27011/2019/221
2) માનનીય નિયામકશ્રી, જીસીઈઆરટીની તા : ૧૭/૦૧/૨૦૨૦નો નોંધ પર મળેલ મંજૂરી.

કીમત,

ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભદર્શિત પત્ર - ૧ અન્વયે જણાવવાનું કે, CCRT, New Delhi ધ્વારા વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માટે Cultural Talent Search Scholarship Scheme (CTSSS) હેઠળ રાજ્યના ૧૦ થી ૧૪ વર્ષના બાળકો માટે જુદા જુદા ક્ષેત્રો જેવા કે સંગીત, ડાન્સ, ડ્રામા, પેન્ટીંગ, શિલ્પકલા, ક્રાફ્ટ, સર્જનાત્મક લખાણ અને સાહિત્યિક કલા વગેરે જેવા ક્ષેત્રોએ પ્રતિભાસંપન્ન બાળકોની અરજી મંગાવવામાં આવેલ છે.

અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, સી.સી.આર.ટી. ના પત્ર અન્વયે શિષ્યવૃત્તિ મળવાપાત્ર અંગેના નિયમોની સુચિ તેમજ નમૂનાનું અરજીપત્રક આ સાથે સામેલ છે. સદર શિષ્યવૃત્તિ યોજના અન્વયે આપના જિલ્લામાંથી ઉપરોક્ત દર્શાવેલ ક્ષેત્રોમાં પ્રતિભા સંપન્ન વિદ્યાર્થીઓની પસંદગી કરી સદર પસંદગી પામેલ બાળકોની જરૂરી તમામ વિગતો આધાર પુરાવા સાથે તારીખ : ૩૧/૦૧/૨૦૨૦ સુધીમાં રજીસ્ટર એ.ડી. / ઈ-મેઈલ થી ddsch.ccert@nic.in પર ન્યુ દિલ્હી ખાતે રવાના કરી રવાનગી અંગેની એક નકલ એસ.ટી.ટી.આઈ, ગાંધીનગરની કચેરીના ઈ.મેઈલ આઈ.ડી (stti.gujarat@gmail.com) અચૂક મોકલી આપશો. જે આપશ્રીને વિદિત થાય.

જી.ઓ.ડિ.સ્ટી.
એસ.ટી.ટી.આઈ.
ગાંધીનગર



Dr. Rahul Kumar
Deputy Director
Phone: 011-25309308

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र
Centre for Cultural Resources and Training
(Under the aegis of Ministry of Culture, Govt. of India)

No.CCRT/27011/1/2019/221
January 02, 2020

37. The Co-coordinator
Secondary Teachers Training Institute
Sector – 12, GCERT Campus, Opp. Udyog Bhavan
Gandhinagar, Gujarat State
Phone No. – 07923246511
Fax No. – 07923246512
E-mail – stti.gujarat@gmail.com

Subject: Request for recommending the applications of talented children (10-14 years) for Cultural Talent Search Scholarship Scheme(CTSSS) 2020-21, Last date: 31st January, 2020

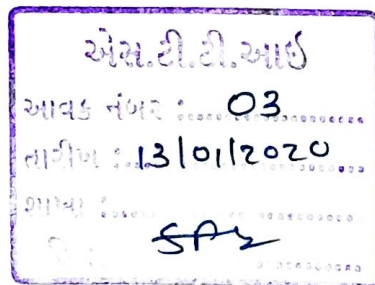
Dear Sir/Madam,

As you are aware that CCRT has been implementing the Cultural Talent Search Scholarship Scheme to provide training facilities to outstanding young children selected in the age group of 10 to 14 years for developing their talent in the various artistic fields such as music, dance, drama, painting, sculpture, craft, creative writing & literary arts etc.

CCRT has invited applications from children for award of scholarships for the year 2020-21. The Scheme has been recently advertised in various newspapers in all the States and UTs on December 19, 2019. However CCRT would request your kind self to help us in identifying talented children practicing performing, visual & literary art forms by obtaining their applications and forward them to CCRT, New Delhi so as to reach on or before January 31, 2020. The same application form may please be photocopied or downloaded from CCRT's website: www.ccartindia.gov.in also.

May I request you to kindly give wide publicity to the scheme in your State(s)/UT(s). Please find enclosed 02 set of forms for free distribution.

Looking forward to receiving your kind help in the activities of the CCRT with best wishes and also please accept our good wishes for ensuing New Year 2020 .



Yours faithfully,

(Dr. Rahul Kumar)

Mobile: 09711749343

e-mail: dds.ch.ccr@nic.in



सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र Centre for Cultural Resources and Training

(Under the aegis of Ministry of Culture, Govt. of India)

डॉ. राहुल कुमार
उपनिदेशक

सीसीआरटी/27011/1/2019/

प्रिय महोदय/महोदया,

कृपया सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र की सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना 2020-21 में भाग लेने हेतु संलग्न आवेदन पत्र प्राप्त करें।

पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन-पत्र, फोटोग्राफ, संबंधित प्रमाण-पत्रों, दस्तावेजों तथा नवीनतम कार्य के नमूनों के साथ दिनांक 31 जनवरी, 2020 तक या उससे पहले, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली में अवश्य पहुंच जाना चाहिए।

कृपया ध्यान दें कि अपूर्ण या दृश्य कलाओं, सृजनात्मक लेखन व साहित्यिक कलाओं के क्षेत्र में नवीनतम कार्यों के नमूनों तथा आवश्यक स्वयं सत्यापित प्रमाण पत्रों के बिना और पुराने/पिछले वर्षों के आवेदन पत्रों में प्रस्तुत तथा अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और इनके बारे में कोई पत्राचार भी नहीं किया जाएगा।

प्रति वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर सभी क्षेत्रों में कुल 650 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। जिनमें 100 छात्रवृत्तियाँ जनजातीय संस्कृति/अनुसूचित जनजाति (ST) बच्चों (जिनके पास वैध अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र है), 20 छात्रवृत्तियाँ दिव्यांग बच्चों के लिए (जिनके पास वैध दिव्यांग प्रमाण-पत्र है), 30 छात्रवृत्तियाँ सृजनात्मक लेखन/साहित्यिक कलाओं के क्षेत्र में सक्रिय बच्चों (जिनके पास अपने मूल कार्य के प्रमाण हैं) तथा 125 छात्रवृत्तियाँ परम्परागत कला घरानों के बच्चों (जो कम से कम पूर्व में 03 पीढ़ियों से कला क्षेत्रों में निरन्तर अभ्यासरत हैं) के लिए चिह्नित की गई हैं। छात्रवृत्तियाँ वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि होने पर ही, प्रदान की जानी हैं और हमारे देश में सैकड़ों कला शैलियों के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध छात्रवृत्तियों की संख्या सीमित है, अतः सभी योग्य बच्चों के आवेदन पत्रों की जांच के पश्चात् केन्द्रीय चयन समिति द्वारा केवल उपयुक्त बताए गए छात्र/छात्राओं को ही साक्षात्कार की तिथि, समय तथा स्थान के बारे में डाक द्वारा सूचित किया जाएगा जो कि संभवतः मई, 2020 से प्रादेशिक स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। अभिभावकों/गुरुओं से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि छात्र/छात्रा जिस क्षेत्र में आवेदन कर रहा है उसमें उसे कम से कम तीन (03) वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त हो एवं वह इसमें एक निश्चित मानक स्तर का ज्ञान रखता है। हालांकि यह शर्त सृजनात्मक लेखन साहित्यिक कलाओं के क्षेत्र में लागू नहीं हैं। यदि आवश्यक हो तो, आवेदन पत्र की छायाप्रति अथवा सीसीआरटी की वेबसाइट (www.ccrindia.gov.in) से डाउनलोड की गई प्रति भी प्रयोग में लाई जा सकती है।

एक ही समय में, एक ही गुरु/संस्था के केवल तीन (03) छात्र/छात्राओं के आवेदनों पर विचार किया जाएगा। यदि किसी संस्था में एक से अधिक गुरु/प्रशिक्षक बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं तो भी उस संस्था के तीन (03) बच्चों के आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। आवेदक केवल एक ही विषय में आवेदन करें अन्यथा एक से अधिक विषयों के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों के सभी आवेदन पत्र प्रथम दृष्टि में ही रद्द कर दिए जाएंगे।

सीसीआरटी को आवेदन पत्र भेजने/जमा करने से पूर्व कृपया सुनिश्चितता बरतें कि उपरोक्त सभी मार्गदर्शक बिन्दुओं पर आपकी कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। यह आवश्यक है।

अंतिम तिथि अर्थात् शुक्रवार, 31 जनवरी, 2020 के बाद में प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और सीसीआरटी किसी भी प्रकार के पोस्ट संबंधी विलम्ब के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

शुभाकांक्षी,

(डॉ. राहुल कुमार)

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली
सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना 2020-21

माता-पिता/गुरु-अध्यापक के लिए आवेदन पत्र को ठीक से भरने हेतु अनुदेश (इनमें से किसी भी अनुदेश(ों) का पालन न करने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत भी हो सकता है)

1. सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वित की जाती है। हमारे देश में सैकड़ों कला शैलियाँ प्रचलन में हैं, चूँकि उपलब्ध छात्रवृत्तियों की संख्या सीमित है, अतः केवल उत्कृष्ट एवं प्रतिभाशाली छात्र/छात्रा ही आवेदन करें।
2. वर्ष 2020-21 के लिए दी जाने वाल छात्रवृत्ति हेतु 01/07/2006 तथा 30/06/2010 (दोनों दिनों सहित) के बीच जन्मे बच्चे ही आवेदन करने के पात्र हैं। अतः आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप के बच्चे का जन्म इन दोनों तिथियों या उनके बीच में ही हुआ हो।
3. आपके बच्चे की जन्म तिथि, उसके स्कूल रिकार्ड के अनुसार संबंधित हेडमास्टर/प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है साथ ही साथ रजिस्ट्रार (जन्म व मृत्यु) या किसी अन्य सक्षम अधिकारी के कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण-पत्र की स्वयं सत्यापित फोटोकॉपी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना भी अत्यन्त आवश्यक है।
4. जिस कला क्षेत्र में आपका बच्चा आवेदन करना चाहता है, उसमें किसी गुरु/अध्यापक या संस्था में, आवेदन करने से पहले आपके बच्चे को कम से कम तीन (03) वर्षों का प्रशिक्षण दिलवाना अनिवार्य है। इस बाबत गुरु/अध्यापक द्वारा आवेदन पत्र के अंतिम पृष्ठ पर दिए गए प्रमाण-पत्र को पूर्ण रूप से भरकर बच्चे को दिए गए प्रशिक्षण का ब्यौरा व अपने जीवन-वृत्त/बायोडॉटा का विवरण देते हुए स्वहस्ताक्षरित तथा अपनी संस्था की मुहर (यदि उपलब्ध है तो) लगाकर भेजना आवश्यक है।
5. चूँकि यह एक राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्ति है, अतः गुरु/अध्यापक/अभिभावक यह सुनिश्चित करें कि जिन छात्रों/छात्राओं का जिस भी कला क्षेत्र में आवेदन करा रहे हैं, उसमें उन्हें आवेदन करने से पूर्व एक निश्चित मानक स्तर का ज्ञान प्राप्त हो। कृपया नोट करें कि एक ही समय में, एक ही गुरु/अध्यापक/संस्था के केवल तीन (03) ही छात्रों/छात्राओं के आवेदन मंजूर किए जाएँगे। यदि किसी संस्था में एक से अधिक गुरु/अध्यापक प्रशिक्षण दे रहे हैं तो भी उस संस्था के केवल तीन (03) ही आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएँगे। अतः ऐसे मामलों में तीन (03) से अधिक आवेदन पत्रों को, उनकी प्राप्ति तिथि के आधार पर, प्रथम दृष्टि में ही नामंजूर कर दिया जाएगा।
6. लोक/परम्परागत व स्वदेशी कलाओं में आवेदन करने वाले बच्चों को संबंधित कॉलम में कला का वास्तविक /प्रादेशिक/आंचलिक नाम और संबंधित राज्य/प्रदेश, जहाँ वह कला शैली प्रचलित है, का वर्णन करना आवश्यक है।
7. जो आवेदक, जनजातीय संस्कृति कला-क्षेत्र/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें अपने आवेदन पत्र के साथ, किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी, अनुसूचित जनजाति के, स्वयं सत्यापित प्रमाण-पत्र की फोटोकॉपी लगाना आवश्यक है।
8. जो आवेदक, दिव्यांग बच्चों के वर्ग के अन्तर्गत, आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें अपने आवेदन पत्र के साथ, किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी, अपने बच्चे के दिव्यांग प्रमाण-पत्र की स्वयं सत्यापित फोटो कापी लगाना आवश्यक है।
9. जो आवेदक, परम्परागत घरानेदार कलाकारों की श्रेणी में आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें एक अलग सादे पेपर पर, अपने परिवार की कम से कम तीन (03) पीढ़ियों के कलाकारों का नाम व विभिन्न कलाक्षेत्रों में उनका योगदान तथा बच्चे के साथ उनके रिश्ते को दर्शाता हुआ स्वयं हस्ताक्षरित संक्षिप्त विवरण संलग्न करना आवश्यक है।

10. जो आवेदक, अपने बच्चे का, सृजनात्मक लेखन/साहित्यिक कलाओं के क्षेत्र में आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें अपने बच्चे द्वारा स्वरचित नवीन मूल कार्यों (जैसे कि कविताएँ, कहानियाँ, गद्य, पद्य, नाटक व निबन्ध आदि) के कम से कम तीन (03) नमूने, उसके स्कूल के हेडमास्टर/प्रधानाचार्य द्वारा यह प्रमाणित कराते हुए कि ये उनके बच्चे की मूल रचनाएँ हैं, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
11. जो आवेदक चित्र कला (पेंटिंग) के कला क्षेत्र में आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें अपने बच्चे द्वारा स्वयं बनाई हुई, तीन (03) नवीनतम पेंटिंग मूल रूप में, उसके गुरु-अध्यापक द्वारा यह प्रमाणित कराते हुए कि ये उनके बच्चे की मूल कला-कृतियाँ हैं और उसमें उसके गुरु/अध्यापक का कोई योगदान नहीं है, संलग्न करना आवश्यक है। कृपया नोट करें कि चित्रों के फोटोग्राफ्स मान्य नहीं होंगे। मूर्तिकला/परम्परागत हस्तकला के क्षेत्र में आवेदन करने वाले बच्चों को अपनी खुद की बनाई हुई नवीनतम कलाकृतियों के तीन (03) फोटोग्राफ्स, उनके पीछे की ओर या अलग से एक सादे पेपर पर गुरु/अध्यापक से हस्ताक्षरित उपरोक्त प्रमाण-पत्र सहित संलग्न करना आवश्यक है।
12. जो आवेदक प्रदर्शनकारी कला क्षेत्र में आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें अभी तक प्राप्त प्रशिक्षण का गुरु द्वारा प्रमाणित विस्तृत विवरण व कला-प्रदर्शन/प्रशिक्षण के समय के 03 पोस्टकार्ड साइज़ के फोटोग्राफ़ लगाना अनिवार्य है।
13. सीसीआरटी, विभिन्न कला क्षेत्रों में प्रतिभाशाली छात्रों/छात्राओं के आवेदन पत्र प्राप्त करने में, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राज्य सरकारों के शिक्षा बोर्डों एवं अन्य गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थानों की भी मदद ले सकता है।
14. छात्र/छात्रा केवल एक ही विषय में आवेदन करें क्योंकि योजना के अन्तर्गत केवल एक बार और एक ही कला क्षेत्र में छात्रवृत्ति प्राप्त की जा सकती है। एक से अधिक कला-क्षेत्रों में आवेदन करने वाले आवेदकों के सभी आवेदन पत्र प्रथम दृष्टि में ही रद्द कर दिए जाएँगे।
15. अपूर्ण या पुराने वर्षों के आवेदन प्रपत्रों में भरे हुए फार्म और आवश्यक दस्तावेजों/कार्य नमूनों के बिना प्राप्त आवेदन पत्रों को केन्द्रीय चयन समिति के समक्ष रखे बिना ही प्रथम दृष्टि में रद्द कर दिया जाएगा।
16. जिनको सीसीआरटी अथवा अन्य किसी संस्था से किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है वे नई अथवा सीसीआरटी की छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिए पुनः आवेदन न करें।
17. इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति हेतु चयन हो जाने की स्थिति में कोई भी छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता किसी अन्य संस्था से, संबंधित कला क्षेत्र में, कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर सकेंगे।
18. पूर्ण एवं विधिवत रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र सीसीआरटी, नई दिल्ली में अंतिम तिथि या उससे पहले अर्थात् 31.01.2020 तक अवश्य पहुँच जाना चाहिए। सीसीआरटी किसी भी प्रकार के पोस्टल/पत्राचार विलम्ब हेतु जिम्मेदार नहीं होगा और 31.01.2020 के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
19. केवल केन्द्रीय चयन समिति द्वारा अनुशंसित छात्रों/छात्राओं को ही साक्षात्कार की तिथि, समय व स्थान के बारे में डाक द्वारा सूचित किया जाएगा तथा उनके नाम साक्षात्कार/परीक्षा सूची के साथ सीसीआरटी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए जाएँगे, जो कि संभवतः मई से अगस्त, 2020 से प्रादेशिक स्तर पर आयोजित किए जाएँगे। जिन आवेदकों के आवेदन पत्र, समिति द्वारा नामंजूर कर दिए जाएँगे, सीसीआरटी उनको सूचित करने या उनके साथ किसी भी किस्म का पत्राचार करने में असमर्थ होगा।



सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली

उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य मान्यता प्राप्त स्कूलों अथवा अन्य परंपरागत निष्पादन कलाओं में अभ्यासरत परिवारों से संबंधित, निर्धारित उचित जन्म तिथि के अनुसार 10 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में, चयनित किए जाने वाले प्रतिभाशाली बच्चों को विशेष प्रशिक्षण हेतु सुविधाएं प्रदान करना है ताकि वे विविध सांस्कृतिक क्षेत्रों जैसे संगीत, नृत्य, नाटक, चित्रकला, शिल्पकला, हस्तकला व साहित्यिक कला आदि में अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें, विशेषकर उन दुर्लभ कला रूपों पर बल देते हुए जो समाप्त होने की प्रक्रिया की ओर अग्रसर हैं।

छात्रवृत्ति का स्वरूप

वित्त की प्राप्ति के अनुसार, प्रति वर्ष प्रदान की जाने वाली नई छात्रवृत्तियों की अधिकतम संख्या 650 होगी, जिसमें से 100 छात्रवृत्तियाँ जनजातीय संस्कृतिक कला क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति (ST) बच्चों (जिनके पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जनजाति का वैध प्रमाण पत्र है), 125 छात्रवृत्तियाँ को परंपरागत कला घरानों के बच्चों (जो पूर्व में कम से कम लगातार तीन पीढ़ियों तक किसी भी कला क्षेत्र में सक्रिय हैं), 20 छात्रवृत्तियाँ दिव्यांग बच्चों (जिनके पास वैध दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है) तथा 30 छात्रवृत्तियाँ सृजनात्मक लेखन/साहित्यिक कलाओं के क्षेत्र में आवेदन करने वाले बच्चों हेतु (जिनके पास अपने मूल कार्य के प्रमाण हैं) चिह्नित की गई हैं। शेष 375 छात्रवृत्तियाँ बाकी सभी श्रेणी/वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए होंगी।

इस योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त स्कूलों में अध्ययनरत एवं निर्धारित उचित वर्णित जन्म तिथि के अनुसार 10 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के प्रतिभाशाली छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति हेतु पात्र होंगे।

जिन छात्रों के अभिभावकों की कुल मासिक आय ₹ 8000/- (₹ आठ हजार) से कम है, उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करने समय वरीयता दी जाएगी। हालांकि सभी आवेदकों के संबंध में प्रतिभा और क्षमता के मापदण्ड को विचार में रखा जाएगा।

अवधि

योजना के अंतर्गत प्रदान की गई छात्रवृत्ति आरम्भ में दो वर्ष के लिए होगी और छात्र के प्रथम स्नातक शिक्षा स्तर पूर्ण कर लेने अथवा बीस वर्ष की उम्र तक (दोनों में से जो पहले हो) छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता की संतोषजनक प्रगति को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति को प्रत्येक दो वर्ष बाद नवीकृत किया जाएगा। तथापि यदि अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं की गई तो कभी भी छात्रवृत्ति को बंद करने पर विचार किया जा सकता है।

छात्रवृत्ति का भुगतान, सीसीआरटी द्वारा निर्धारित या संस्था में अनुमोदित पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश पाने की तिथि से अथवा अनुमोदित गुरु के पास जाने की तिथि से (दोनों में से जो बाद में हो), प्रारंभ होगा। गुरु के पास अध्ययन करने वालों के मामलों में, गुरु के पास अध्ययन करने की तिथि पाठ्यक्रम प्रारम्भ होने की तिथि मानी जाएगी।

आवेदन पत्र

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में ही, अभिभावक द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसे छात्र/छात्रा जिस स्कूल में अध्ययनरत है, उस स्कूल एवं गुरु/अध्यापक द्वारा प्रमाणित कराने के पश्चात् ही अंतिम तिथि तक सीधे सी.सी.आर.टी. नई दिल्ली में प्राप्त हो जाने चाहिए। सीसीआरटी, विभिन्न कला क्षेत्रों में प्रतिभाशाली छात्रों/छात्राओं के आवेदन पत्र प्राप्त करने में, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राज्य सरकारों के शिक्षा बोर्डों एवं अन्य गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थानों की भी मदद ले सकता है।

चयन

साक्षात्कार/परीक्षा में बुलाए जाने वाले छात्रों के निर्धारण हेतु सीसीआरटी एक केन्द्रीय चयन समिति गठित करेगा, जिसका निर्णय अंतिम व मान्य होगा। केवल इस समिति द्वारा उपयुक्त बताए गए छात्र/छात्राओं को ही साक्षात्कार/परीक्षा की तिथि, समय तथा स्थान के बारे में डाक द्वारा सूचित किया जाएगा, जिनके मई से अगस्त, 2020 से प्रादेशिक स्तर पर आयोजित किए जाने की संभावना है।

जिन आवेदकों के आवेदन पत्र समिति द्वारा नामंजूर कर दिए जाएँगे, सीसीआरटी उनके साथ किसी भी किस्म का पत्राचार करने में असमर्थ होगा। साक्षात्कार/परीक्षा में भाग लेने वाले बच्चों की प्रतिभा का मूल्यांकन, 01 (एक) से 10 (दस) अंकों के पैमाने पर, क्षेत्रीय चयन समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा अलग-अलग किया जाएगा और बच्चों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के क्रम में ही छात्रवृत्तियाँ आवंटित की जाएँगी, जिसकी संख्या का केवल नियमनिष्ठ योग्यता के आधार पर निर्धारण उस वित्तीय वर्ष में, उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

प्रशिक्षण

चयनित छात्र/छात्रा को प्रशिक्षण हेतु अभिभावक/संरक्षक द्वारा या तो ऐसे उचित संगठन में रखा जाएगा, जिसमें शैक्षिक योग्यता की सुविधाओं के साथ उन सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हो, जिसके लिए उसे छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, अथवा एक स्वीकृत गुरु/अध्यापक/कला संस्थान के पास संबंधित विषय में उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। अध्ययन के पाठ्यक्रम तथा गुरु/अध्यापक के चयन में सीसीआरटी का निर्णय अंतिम होगा।

छात्रवृत्ति का मूल्य

(क) छात्रवृत्तिधारक के लिए, छात्रवृत्ति का मूल्य ₹ 3600/- (₹ तीन हजार छः सौ केवल) प्रतिवर्ष होगा।

(ख) विशेष प्रशिक्षण के लिए या गुरु/अध्यापक/कला संस्थान के लिए वास्तव में अदा की गई प्रशिक्षण शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता को ऊपर (क) में दर्शायी गई छात्रवृत्ति की राशि के अतिरिक्त होगी जिसकी अधिकतम सीमा ₹ 9000/- (₹ नौ हजार केवल) प्रतिवर्ष होगी।

छात्रवृत्ति का सारा भुगतान सीधे ही छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं के प्राधिकृत अभिभावक/संरक्षक के बैंक खाते में एनईएफटी/ईसीएस/आरटीजीएस के द्वारा किया जाएगा तथा उन्हें गुरु/अध्यापक के निर्धारित शिक्षा शुल्क का भुगतान कर उनके द्वारा व स्वहस्ताक्षरित भुगतान प्राप्ति रसीदें भेजनी होंगी।

प्रगति रिपोर्ट

छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता की अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट संबंधित संस्था/अध्यापक द्वारा सीसीआरटी को निर्धारित प्रपत्र में भेजनी होगी। 01 जनवरी से 30 जून को समाप्त होने वाली पहली अर्धवार्षिकी की रिपोर्ट, दिनांक 15 जुलाई तक तथा 01 जुलाई से 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाली दूसरी अर्धवार्षिकी की रिपोर्ट, अगले वर्ष की 15 जनवरी तक सीसीआरटी को अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए। यदि छात्र की दो अर्धवार्षिक रिपोर्ट लगातार असंतोषजनक होंगी अथवा समय पर प्राप्त नहीं होंगी तब छात्रवृत्ति को समाप्त कर दिया जाएगा और इस बारे में केन्द्र का निर्णय अंतिम होगा।

अन्य शर्तें

जहाँ कहीं अपरिहार्य कारणों से गुरु/अध्यापक बदलने की आवश्यकता होगी, वहाँ नए गुरु के संबंध में सीसीआरटी को गुरु/अध्यापक बदलने का न्यायोचित कारण बताते हुए निर्धारित प्रवेश रिपोर्ट प्रपत्र में पूर्वानुमति लेना आवश्यक होगा।

यदि छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता सीसीआरटी की पूर्वानुमति के बिना छात्रवृत्ति की अवधि पूर्ण होने के पहले ही प्रशिक्षण प्राप्त करना बंद कर दे, तो ऐसी स्थिति में सीसीआरटी को उसकी छात्रवृत्ति तुरन्त प्रभाव से रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा और उस स्थिति में छात्रवृत्ति पूर्ण होने पर मिलने वाले प्रमाण-पत्र को भी जारी नहीं किया जाएगा।

छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना की अवधि के दौरान संबंधित कला क्षेत्र में कोई भी अन्य छात्रवृत्ति/प्रशिक्षण शुल्क प्राप्त नहीं करेगा।

सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत किसी भी राज्य/संघीय प्रदेश हेतु किसी आरक्षण का प्रावधान नहीं है।

इस योजना से संबंधित कोई भी विवाद, शिकायतें व कोर्ट के मामले, दिल्ली उच्च न्यायालय / दिल्ली स्थित न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत ही मान्य होंगे व केवल दिल्ली स्थित न्यायालय में ही निपटाए जाएंगे।

सीसीआरटी को किसी भी समय सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना संबंधी नियमों व शर्तों में ऐसे परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार है जो कि इस योजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक होंगे।

15ए, सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली - 110075

ई-मेल : dds.ch.ccrt@nic.in वेबसाइट www.ccrtindia.gov.in

(इसे भर कर सीधे सीसीआरटी, नई दिल्ली में भेजिए)

(केवल एक ही क्षेत्र/विषय हेतु आवेदन करें)

अंतिम नाम

वर्ष

यहाँ पर जिस स्कूल में छात्र/छात्रा पढ़ रहा/रही है, उस स्कूल के हेडमास्टर/प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित, आवेदक की नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो चिपकाएं।

[illegible]

5. अभिभावक /संरक्षक की कुल मासिक आय _____
6. क्या आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष रूप से बाधित वर्ग से संबंधित है, यदि हाँ, तो लिखें व उपयुक्त प्रमाण-पत्र की सत्यापित कॉपी लगाएँ।

7. क्या आवेदक कम से कम पूर्व में 03 पीढ़ियों से कला(ओं) में अभ्यासरत परंपरागत
 कला घरानों के कलाकारों के परिवार की चौथी पीढ़ी से संबंधित है?
 यदि हाँ तो, कम से कम पिछली तीन पीढ़ियों के सदस्यों के नामों सहित कला क्षेत्र में उनके
 योगदान का पूर्ण विवरण दें। इस चिन्हित वर्ग में शामिल किए जाने हेतु, एक अलग पेपर शीट
 पर संक्षिप्त ब्यौरा देकर संलग्न करें ताकि उसका दावा सिद्ध हो सके।

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी जानकारी के अनुसार, मेरे द्वारा आवेदक के संबंध में दी गई उपरोक्त सूचनाएँ तथ्यात्मक दृष्टि से सही व पूर्ण हैं और यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक/अभ्यर्थी ने केवल एक ही विषय/कला रूप में छात्रवृत्ति प्राप्ति के लिए आवेदन किया है और यह गलत साबित होने पर किसी भी स्तर पर सीसीआरटी द्वारा छात्रवृत्ति को रद्द कर दिए जाने के लिए मेरी जिम्मेदारी होगी एवं इस संबंध में मेरे/आवेदक के द्वारा सम्माननीय न्यायालय में कोई भी दावा नहीं किया जाएगा।

अभिभावक/संरक्षक के हस्ताक्षर

स्थान

(अभिभावक/संरक्षक का नाम)

दिनांक

8. वर्तमान स्कूल, जिसमें आवेदक पढ़ रहा/रही है उसके हेडमास्टर/प्रधानाध्यापक द्वारा हस्ताक्षरित जन्मतिथि प्रमाण पत्र

- (i) प्रमाणित किया जाता है कि मास्टर/कुमारी (छात्र/छात्रा का नाम),
 पुत्र/पुत्री;श्री/श्रीमती(अभिभावक का नाम)
 इस स्कूल की कक्षा में पढ़ रहा/रही है।
- (ii) स्कूल रिकार्ड के अनुसार आवेदक की जन्मतिथि(अंकों में)
(शब्दों में)
 वर्णित की जा रही है।
- (iii) मेरे द्वारा सत्यापित व रजिस्ट्रार, जन्म व मृत्यु/स्थानीय सरकारी निकाय द्वारा जारी उक्त जन्म-तिथि के प्रमाण-पत्र की सत्यापित फोटोकॉपी भी आवेदन-पत्र के साथ संलग्न कर दी गई है।

हेडमास्टर/प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर
 (मुहर सहित)

नाम तथा स्कूल का पता

स्थान

दूरभाष (एस.टी.डी. कोड सहित).....

दिनांक

फैक्स नं. (एस.टी.डी.कोड सहित)

ई-मेल

9. केवल स्वयं प्रशिक्षण देने वाले वर्तमान गुरु/अध्यापक द्वारा प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र

i) मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री/सुश्री (छात्र/छात्रा का नाम) (कला/क्षेत्र का नाम) में, मेरे साथ / संस्थान में वर्ष / वर्षों से (अंकों में)/..... वर्ष / वर्षों से (शब्दों में) प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा/रही है।
इसने पूर्व में अन्य गुरु(ँ)/संस्थान(ँ) में भी उपरोक्त कला/क्षेत्र में वर्ष(ँ) (अंकों में)/..... वर्ष(ँ)(शब्दों में)..... प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

अतः आवेदक उपरोक्त कला /क्षेत्र में अभी तक कुल वर्ष(ँ) (अंकों में) /..... वर्ष(ँ) (शब्दों में) का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका है। पुराने गुरु/संस्थान से प्राप्त प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी संलग्न है।

ii) मेरे शिष्य/शिष्या द्वारा अभी तक लिए गए प्रशिक्षण का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :-

.....
.....
.....

नोट: (यदि स्थान कम है तो अलग से भी एक सादे पेपर/लैटर हेड पर प्रशिक्षण का विस्तृत ब्यौरा देते हुए गुरु/प्रशिक्षक के हस्ताक्षर सहित लगाएँ।)

iii) एक गुरु/अध्यापक के नाते मेरा संक्षिप्त जीवन-वृत्त/बायोडॉटा निम्न प्रकार हैं :-

नाम-डॉ/श्री/श्रीमती/सुश्री
जन्मतिथि/आयु
शैक्षिक योग्यता(एँ)

विशिष्ट विशेषज्ञता/कार्य कुशलता का क्षेत्र

सम्बद्ध संस्था(ओं) का नाम

प्राप्त सम्मान/पुरस्कार

स्वयं लिखित लेखों/पुस्तक(ँ) का संक्षिप्त ब्यौरा

अन्य जानकारी

नोट: (यदि स्थान कम है तो उपरोक्त सभी बिंदुओं को शामिल करते हुए अलग से बायोडॉटा संलग्न करें)

iv) मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि आवेदक ने सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा कार्यान्वित सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विशेष प्रशिक्षण को पूरा करने की क्षमता एवं योग्यता है और इन्हें सीसीआरटी द्वारा एवं कहीं से कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है।

v) मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैंने/मेरी संस्था ने इस वर्ष में तीन (03) से अधिक छात्रों की इस छात्रवृत्ति हेतु सिफारिश नहीं की है और मैंने अपना बायोडॉटा तथा छात्र/छात्रा को दिए गए प्रशिक्षण का पूर्ण ब्यौरा दर्शाता हुआ प्रमाण पत्र भी संलग्न कर दिया है। मैं इस संबंध में भी अपनी सहमति एवम् स्वीकृति प्रदान करता/करती हूँ कि यदि (03) तीन से अधिक उम्मीदवार, देश के किसी भी क्षेत्र अथवा मेरी संबद्ध संस्था से मेरे अथवा किसी अन्य गुरु/अध्यापक द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन करते हैं तो उनके सभी आवेदन-पत्र सीधे तौर पर निरस्त कर दिए जाएँ।

(गुरु/प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)

अभिभावक/संरक्षक के हस्ताक्षर
(अभिभावक/संरक्षक का नाम)
गुरु/संस्था का पूरा नाम व पता, संस्था की मुहर सहित (यदि है तो)
श्री/श्रीमती/सुश्री:
पता:

दिनांक :
स्थान :
दूरभाष (एस.टी.डी. कोड सहित).....
मोबाइल/ फोन नं.
ई-मेल